Name of student: - Shabnam Sayedda

Name of supervisor: - Dr. Mehtab Manzar

Department: - Political Science

Title of the Thesis: - "Bharat Mein Bachchon Ke Poshtik Aahar Sambandhi Adhikaron Ki Uplabdhata Ka Adhayan : Zila Basti, Uttar Pradesh , Niwasi Larkiyon Ke Vishesh Sandarbh Mein".

ABSTRACT

मनुष्य के जीवन में बाल्यावस्था का विषेष महत्व होता है। षिषु के गर्भ में आने से लेकर जन्म के बाद बड़े होने तक विषेष देखभाल, स्तनपान, अनुपूरक आहार और चिकित्सकीय जाँच की आवष्यकता होती है। षिषु जन्म के एक घंटे के भीतर छः माह तक केवल सतत स्तनपान और छः माह के बाद दो साल तक स्तनपान के साथ अनुपूरक आहार देना उचित रहता है। माँ के दूध में पाया जाने वाला फैटो एसिड बच्चे के आई. क्यू. स्तर में वृद्धि करता है स्तनपान न करने वाले षिषुओं की तुलना में स्तनपान करने वाले षिषुओं का बौद्धिक स्तर आठ गुना अधिक होता है। माँ का दूध बच्चे को कई संक्रामक रोगों से भी बचाव करता है। माँ के स्वास्थ्य का बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भ धारण करने और उसके पष्चात माता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना आवष्यक होता है क्यों कि स्वस्थ्य माँ से ही स्वस्थ्य षिषु का जन्म होता है। सुरक्षा और उचित देखभाल प्राप्त करना माता और षिषु का अधिकार है। इन अधिकारों को जनता को दिये जाने के बावजूद भी भारत में बच्चे और महिलाओं की दषा अतयन्त शोचनीय है। बच्चों और महिलाओं की ऐसी दषा को देखते हुए उनके अधिकारों को सुरक्षित करने की दृष्टि

विषय सूची

प्रस्तावना

1. **भारत संवैधानिक उपबन्ध**
   भारत की पंचवर्षीय योजनाएं
   भारतीय कार्यक्रम एवं योजनाएं
   वार्षिक रिपोर्ट
2. **अन्तर्राष्ट्रीय कानून, कार्यक्रम तथा संस्थाएँ**
3. **बाल विकास**
   षिषु स्तनपान तथा बाल पोषणः दिषा–निर्देष
   किषोर लड़कियां–विकास एवं संरक्षण
   भारतीय माताओं की वास्तविक स्थिति
4. **बच्चों में कुपोषणः चुनौतियां**
5. **भारत सरकार : लक्ष्य एवं कार्यनीतियाँ**
6. **भारत में बच्चो के पौष्टिक आहार सम्बन्धी अधिकारों की उपलब्धता का अध्ययन : "जिला बस्ती उत्तर प्रदेष निवासी लड़कियों के विषेष सन्दर्भ में**
7. **मूल्यांकन तथा सुझाव**

से योजनाकारों अनुसंधान कत्ताओं, कानून निर्माणकत्ताओं, वैज्ञानिकों, आदि का ध्यान दायित्वों का भली भाँति निर्वाह करते हुए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार नीति निर्देषक तत्व, राष्ट्रीय बालनीति, आई.एम.एस. अधिनियम 1992, षिषुओं की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 बनाए गए जिसका वर्णन प्रथम अध्याय के अन्तर्गत किया गया है। द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत बच्चों और महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अनेक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाये गए है। संयुक्त राष्ट्र ने बच्चो के अधिकारों का वर्णन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अन्तराष्ट्रीय प्रसंविदा आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र, बाल अधिकार अभिसमय, बच्चो के अधिकारों के अभिसमय के ऐच्छिक नायाचार में किया गया है। इसके अलावा मानव अधिकार आयोग उपआयोग और बाल परिषद स्थापित किये गए।

बच्चो के शारीरिक मानसिक विकास आयु के अनुसार लड़कियों की लम्बाई और वज़न में बढ़ोतरी का चार्ट तृतीय अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। इसी अध्याय में स्तनपान और पूरक आहार के महत्व का भी वर्णन किया गया है। स्तनपान की शीघ्र शुरूआत माता के आरम्भिक दूध कालेस्ट्राल का महत्व, माँ के दूध की पोषाहारीय महत्व, माँ के एच.आई.वी. संक्रमित होने की अवस्था में स्तनपान कृतिम दूध षिषुओं में पूरक आहार का आरम्भ, पूरक आहार की तैयारी, अनुपूरक आहार का महत्व, पूरक आहार की आवृत्ति, बिमारी के दौरान पूरक आहार, अनुपूरक आहार तैयार करते और परोसते समय ध्यान देने योग्य बातों की जानकारी दी गयी है। इन बातो के अलावा माता के स्वास्थ्य और अन्य बातो का भी बच्चियो पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किया गया है। बालिकाओं में षिक्षा की कमी, आसमान पोषण छोटी उम्र में विवाह, अप्रयाप्त चिकित्सकीय सेवाएँ एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रभावों और इससे उत्पन्न होने वाली समस्या पर प्रकाष डाला गया है क्यों कि यही बालिकाएँ कल माँ बनेगी।

निर्धनता एक ऐसी स्थिती है जो शारीरिक आवष्यकताओं की पूर्ती करने में असमर्थ है। कुपोषण का निर्धनता, जनसंख्या वृद्धि और बेरोज़गारी से गहरा सम्बन्ध है। इन सम्बन्धो को चतुर्थ अध्याय में दर्षाया गया है। भारत सरकार द्वारा बच्चों किषोरियों गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं से सम्बन्धित महिला, एवं बाल विकास

मंत्रालय द्वारा अनेक लक्ष्य और कार्यनीतियाँ बनायी गयी है जिसका वार्णन पांचवे अध्याय में दिया गया है। छठे अध्याय के अन्तर्गत बस्ती जनपद का विवरण और शोधकर्त्ता द्वारा किये गये शोध अध्ययन में मुख्य रूप से लड़कियों की कुपोषण स्थिती पर प्रकाष डाला गया है। शोध अध्ययन के द्वारा यह उजागर करने का प्रयास किया गया है कि लड़कियों के साथ भेदभाव अपनाया जाता है और लड़को की तुलना में लड़कियों को कम प्राथमिकता दी जाती है। सबसे अन्तिम अध्याय सात के अन्तर्गत मूल्यांकन और सुझाव दिये गये है। कि किस प्रकार भारत की सरकार और बस्ती की जनता इन समस्याओं से छुटकारा पा सकती है।